

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलेक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 50/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Narendra Singhvi Add.: 66-K, Saheli marg, Singhvi house, first floor,
inside sahelion ki bari, Bali, Udaipur

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी



प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 11/06/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329437103709567 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1879749510 दिनांक 17.05.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/50/24/573-74 दिनांक 17.05.2024 से लिखा गया।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 1220 दिनांक 10.06.2024 से अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्रावली में 60 पृष्ठों में उपलब्ध होने से 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से 120 रुपये जमा कराने हेतु दिनांक 29.04.2024 को सूचित किया गया तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.04.2024 को चालान संख्या 14661352 से 120 रुपये जमा कराये गये। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1000 दिनांक 06.05.2024 से उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

M
जिला कलेक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय के पत्रांक 1000 दिनांक 06.05.2024 से अपीलार्थी को प्रेषित कर उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिरवा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ़तर दाखिल हो।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर